

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-चित्रकूट राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित संरक्षित वनभूमि 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का भूमि हस्तांतरण एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/04/38/2018/एफ०सी०/381, दिनांक 31.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त, बांदा ने अपने पत्रांक-1128/33-1, दिनांक 07.09.2018 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख की दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक मूल प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

10/9

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-547/11-सी-FP/UP/Trans/29629/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, चित्रकूट धाम वृत्त, बांदा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट।
3. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकूट, चित्रकूट।

10/9

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बांदा

पत्रांक: 1128 / 33-1 / दिनांक, बांदा, सितम्बर 07, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय : जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति। प्रपोजल संख्या-FP/UP/TRANS/29629/2017

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र सं०-8 बी/यू०पी०/०४/३८/२०१८/एफ०सी०/३८१ दिनांक ३१.०८.२०१८ एवं आपका पत्रांक-५१२/११-सी, दिनांक ०५.०९.२०१८ एवं प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट के कार्यालय पत्रांक-८५१/३३-१, दिनांक ०६.०९.२०१८

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में लगायीं गयीं ०२ बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण अभिलेख संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट ने अपने कार्यालय सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त निराकरण प्रमाणित अभिलेख ०३ प्रतियों में संलग्न कर सहमति, संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है :-

S. No	Rectification Point	Compliance
1	2	3
1	Row की गणना 33 KV मानकार की गई है, जबकि 11 KV विद्युत लाइन निर्माण की योजना हेतु वनभूमि का अपयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। अतः इसमें संशोधन/ स्पष्टीकरण अपेक्षित है।	उक्त प्रस्ताव में चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद-बांदा मार्ग के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० तक) ओबरी से कटिया तक प्रस्तावित 33 KV ट्रांसमिशन लाइन ही संरक्षित वन भूमि में बनायी जायेगी। 11 KV विद्युत लाइन के निर्माण की योजना हेतु वन भूमि का अपयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। क्योंकि 11 KV विद्युत लाइन का निर्माण संरक्षित वन क्षेत्र से बाहर किया जायेगा।
2	वैकल्पिक मार्ग का विवरण यथा मानचित्र, सन्निहित वन भूमि एवं प्रभावित वृक्षों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बिना विकल्प बताए प्रस्तावित मार्ग का चयन किया गया है।	33 KV ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। संरक्षित वन क्षेत्र के बाहर कहीं-कहीं मार्ग के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र एवं पहाड़ी होने के कारण ऊंचा-नीचा होने से लाइन का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। चूँकि 33 KV ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण संरक्षित वन भूमि में ही किया जायेगा। संरक्षित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों एवं वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(अरविन्द कुमार सिंह)

वन संरक्षक

चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बांदा

संख्या : अ/सम्दिनांक।

प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट को उनके कार्यालय पत्रांक-८५१/३३-१, दिनांक ०६.०९.२०१८ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार सिंह)

वन संरक्षक

चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बांदा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट

पत्रांक: / 33-1 / दिनांक, चित्रकूट, सितम्बर 06, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०,
बाँदा।

विषय : जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बाँदा मार्ग) के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति। प्रपोजल संख्या-FP/UP/TRANS/29629/2017

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र सं०-8 बी/यू०पी०/०४/३८/२०१८/एफ०सी०/३८१ दिनांक ३१.०८.२०१८ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-५१२/११-सी, दिनांक ०५.०९.२०१८

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में लगायीं गयीं ०२ बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण अभिलेख संलग्न कर कार्यदायी संस्था के पत्रांक-३३९/वि०वि०ख० चित्रकूट दिनांक ०६.०९.२०१८ द्वारा इस कार्यालय को ०५ प्रतियों में उपलब्ध करायी गयी। उक्त निराकरण प्रमाणित अभिलेख ०४ प्रतियों में संलग्न कर सहमति, संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है :-

S. No	Rectification Point	Compliance
1	2	3
1	Row की गणना 33 KV मानकार की गई है, जबकि 11 KV विद्युत लाइन निर्माण की योजना हेतु वनभूमि का अपयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। अतः इसमें संशोधन/ स्पष्टीकरण अपेक्षित है।	उक्त प्रस्ताव में चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद-बाँदा मार्ग के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० तक) ओबरी से कटिया तक प्रस्तावित 33 KV ट्रांसमिशन लाइन ही संरक्षित वन भूमि में बनायी जायेगी। 11 KV विद्युत लाइन के निर्माण की योजना हेतु वन भूमि का अपयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। क्योंकि 11 KV विद्युत लाइन का निर्माण संरक्षित वन क्षेत्र से बाहर किया जायेगा।
2	वैकल्पिक मार्ग का विवरण यथा मानचित्र, सन्निहित वन भूमि एवं प्रभावित वृक्षों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बिना विकल्प बताए प्रस्तावित मार्ग का चयन किया गया है।	33 KV ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। संरक्षित वन क्षेत्र के बाहर कहीं-कहीं मार्ग के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र एवं पहाड़ी होने के कारण ऊँचा-नीचा होने से लाइन का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। चूँकि 33 KV ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण संरक्षित वन भूमि में ही किया जायेगा। संरक्षित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों एवं वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

कृपया अपनी सहमति, संस्तुति कर उक्त निराकरण अभिलेख मूल ०३ प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

A.S.O.

74

CCF/NO. 100

07/09/18

संख्या : 851 अ/समुदिनांक

प्रतिलिपि : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को आपत्ति निराकरण अभिलेख मूल तीन प्रतियों में संलग्न कर उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट

(कैलाश प्रकाश)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, चित्रकूट



पत्रांक 339/वि०वि०ख०/राजापुर /

दिनांक 6/9/2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
चित्रकूट।

विषय:- जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।
प्रपोजल संख्या-FP/UP/TRANS/29629/2017

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/04/38/2018 एफ०सी०/381 दिनांक 31.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में लगायी गयी 02 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है:-

1. उक्त प्रस्ताव में चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76/35 (इलाहाबाद-बांदा मार्ग के किनारे 332 कि०मी० से 349 कि०मी० तक) ओबरी से कटिया तक प्रस्तावित 33 के०वी० ट्रान्समिशन लाइन ही संरक्षित वन भूमि में बनायी जायेगी। 11 के०वी० लाइन का निर्माण की योजना हेतु वन भूमि का अपयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। क्योंकि 11 के०वी० ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र से बाहर किया जायेगा।
2. 33 के०वी० ट्रान्समिशन लाइन निर्माण हेतु संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। संरक्षित वन क्षेत्र के बाहर कहीं-कहीं मार्ग के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र एवं पहाड़ी होने के कारण ऊँचा-नीचा होने से लाइन का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। चूँकि 33 के०वी० ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण संरक्षित वन भूमि में ही किया जायेगा। संरक्षित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों एवं वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

कृपया उक्त आख्या को अपनी सहमति सहित, संस्तुति कर उच्च स्तर को भेजने का कष्ट करें।

अधिशाषी अभियन्ता
वि०वि०खण्ड राजपुर चित्रकूट

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक महोदय, द०वि०वि०नि०लि० सिकन्दरा रोड़ आगरा।
- 2 जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट।
- 3 मुख्य अभियन्ता (वि०) बांदा क्षेत्र बांदा।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल चित्रकूट।

अधिशाषी अभियन्ता
वि०वि०खण्ड राजपुर चित्रकूट